UPAL010059512026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2749 सन 2026

छोटू उर्फ कोमल पुत्र गजेन्द्र सिंह, निवासी-ग्राम विजयगढ़ी, थाना नोहझील, जनपद मथुरा।

……..प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

……..विपक्षी/वादी

आदेश

1- उक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **छोटू उर्फ कोमल द्वारा मुकदमा अपराध सं०-247/2025, धारा-121,132,352,351(2),109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना चण्डौस, जिला अलीगढ़** के मामले में जमानत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, वादी मुकदमा/उप निरीक्षक आकाश कुमार दिनांक 01/10/2025 को मय हमराहि उप निरीक्षक विनेश कुमार, HC 1082 नरेन्द्र कुमार, PAC सुवेदार युगेन्द्र नादर, कस्बा चण्डौस में दिपावली पर्व मे देख-रेख, शांति व्यवस्था, यातायात व्यवस्था में रामपुर मोड़ तिराहे पर मामूर थे। दिनांक 19/10/2025 समय करीब 18:30 बजे ट्रक UP81DT2036 दौरऊ की तरफ से आया बाजार मे भीड़ के कारण ट्रैफिक डाईवर्ट किया गया था। वादी मुकदमा/उप निरीक्षक द्वारा ट्रक उपरोक्त के चालक को बाजार में ट्रक ले जाने से मना करते हुए रामपुर रोड़ से जाने को कहा तो उक्त चालाक, जो शराब के नशे में था, ने एकजोश में आकर कहा की जानते नहीं की यह ट्रक किसका है और मैं इधर से ही जाऊँगा। इस पर हमराही HC1082 नरेन्द्र कुमार ने ट्रक मे चढ़के चालक को समझाने की कोशिश की तो कंडक्टर ने हमराही 1082 नरेन्द्र कुमार के साथ गाली गलौंज की और जान से मारने के धमकी देते हुए बोला कि चढ़ा दे पुलिसवालों पे ट्रक, जो होगा देखा जाएगा तभी ट्रक चालक द्वारा सरकारी कार्य मे बाधा डालते हुए उक्त ट्रक को जान से मारने की धमकी देते हुए एकदम ट्रक को तेज गती देते हुए जान से मारने की नियत से ट्रक को पुलिसवालों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया सड़क पर काफी भीड़ थी। पुलिस वाले इधर उधर भागे और ट्रक से बाल-बाल बचे तभी ट्रक में बैठे क्लीनर ने कहा कि दरोगा बच गया इसके तो ऊपर चढ़ाना था। बामुश्किल ट्रक में बैठे HC 1082 नरेन्द्र कुमार द्वारा ट्रक को काबू किया और चालक एकदम ट्रक से कूदकर मौके से भाग गया ट्रक में बैठे क्लीनर से पास जाकर उसका नाम पूछा तो अपना नाम उपेन्द्र कुमार पुत्र साहब सिंह, निवासी ग्राम जारई थाना अमापुर, जिला कासगंज, उम्र करीब 31 वर्ष बताई तो मौके पर ही समय करीब 19:00

बजे पकड़ लिया, जो शराब के नशे में था, जिसे हमराही के साथ थाना रवाना किया गया क्लीनर उपरोक्त द्वारा चालक का नाम छोटू पुत्र नामालूम, निवासी विजयगड, थाना बाजना, जिला मथुरा बताया। इसके बाद वादी मुकदमा/उप निरीक्षक बाजार की भीड-भाड़ व शांति व्यवस्था के बाद ट्रक उपरोक्त को सरकारी चालक रामनाथ गौतम व हमराहीयान की मदद से थाने लेकर आया। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई अपराध से सम्बन्धित बरामदगी नहीं है। वादी मुकदमा पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। इसी कारण गम्भीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त को वादी ने उच्चाधिकारियों को गुडवर्क दिखाने के उद्देश्य से साजिशन झूठा फंसा दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20-10-2025 समय 02:00 बजे पंजीकृत की गई है, जबकि घटना दिनांक 19-10-2025 समय 18:30 बजे की दर्शायी गई है, विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी पुलिसकर्मी के कोई चोट नहीं आना बताया गया है। ट्रक बाजार से नहीं बल्कि अमापुर रोड़ से जा रहा था, तभी एक होमगार्ड प्रार्थी/अभियुक्त को रोकते हुए अवैध वसूली में दो सौ रूपये की मांग करने लगा, प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्त उपेन्द्र कुमार द्वारा रूपया देने से इंकार करने पर होमगार्ड से मुँहवाद हो गया, जिससे चिड़कर उक्त होमगार्ड ने साजिशन कुछ ही दूरी पर खडे दरोगा जी से सांठ गांठ करके प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त अपराध से सम्बन्धित मौके का स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है पुलिस ने झूंठा फसाया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।जमानत प्रार्थना पत्र प्रथम है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्यत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त श्रीमान जी के आदेश जमानत का पूर्णतया पालन करेगा, किसी प्रकार दुपर्योग नहीं करेगा। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान विचा-रण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

4- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5- प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रस्तुत केस डायरी आदि का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6- प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक 19.10.2025 को समय 18.30 बजे ट्रक संख्या- UP81DT2036 दौरऊ की तरफ से आया था और चालक को बाजार में ट्रक ले जाने से मना किया गया परन्तु चालक द्वारा समझाने के बावजूद HC 1082 नरेन्द्र कुमार को जान से मारने की धमकी देते हुए ट्रक को तेज गति से जान से मारने की नियत से पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया और ट्रक से बाल-बाल बचे। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार होना दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त का नाम सहअभियुक्त द्वारा बताये जाने के आधार पर प्रकाश में आया। अभियोजन की ओर से दाखिल अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अभियुक्त की पत्नी पूनम द्वारा इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि, अभियुक्त दो मुकदमों में जमानत पर है तथा एक मुकदमे में विवेचक द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **छोटू उर्फ कोमल** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०**-50,000**/-रूपये **(**पचास हजार रूपये**)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक-25.06.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

आशुलिपिक- कृतिका सक्सैना

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.06.25 16:15:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court